UPET010063302022

<u>न्यायालय :अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–02, एटा।</u>

उपस्थित – विकास गुप्ता :: उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O.code 6228

<u>जमानत आवेदन पत्र संख्या–3278 वर्ष 2022</u>

राकेश पुत्र गेंदालाल निवासी किला रोड थाना निधौली कलॉ जिला एटा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0राज्य

धारा–379,411 भा0द0स0
अ0 सं0–215/2022
थाना–निधौली कलॉ, एटा।

<u>11.11.2022</u>

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश एटा के आदेश दिनांक 07.10.2022 के अनुपालन में अन्तरित होकर न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. प्रार्थी/अभियुक्त राकेश की ओर से मुकद्मा अपराध संख्या–215 सन् 2022 अन्तर्गत धारा–379,411 भा0दं0सं0 थाना निधौली कलॉ जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस आशय का शपथ पत्र दिया गया कि इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो लम्बित है और ना ही खारिज हुआ है।

4. अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा थाना निधौली कलां पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 30.09.2022 व 1.10.2022 की रात्रि में सुबह दो बजे उसकी भैंस जो घेर में बंधी हुई थी, उसे कोई चुराकर ले गया। काफी तलाश किया नहीं मिली, उसकी भैंस की हुलिया इस प्रकार है कि चौथी बार बियाबेगी ,जो एक माह के अंदर वियाह जायेगी जो काले रंग की है व भारा बदन की है। उक्त आशय की प्राथमिकी अज्ञात चोर के विरूद्व दर्ज हुई।

5. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादी की भैंस को अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 01.10.2022 को समय 21:30 बजे बरामद होना दर्शाया गया है।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पार्टीबन्दी के कारण रंजिश के कारण झूॅठा फसाया गया है। अभियुक्त दिनांक 02.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्व है। वह दोनों बाहों से बिकलांग है, किसी भी हालत में किसी कार्य को नहीं कर पाता है, जिसका विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न है। वह उपरोक्त मुकद्मा में नामित नहीं है। इसके अतिरिक्त उसका पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उससे किसी प्रकार की कोई मुकद्मा से सम्बन्धित कथित बरामदगी नहीं है। उसका झूंठा चालान कर दिया गया है। उसके विरूद्व कोई स्वंतत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। उपरोक्त में वर्णित कोई भी अपराध नहीं किया। अपराध अवर

न्यायालय द्वारा विचारणीय है । अतः जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

7. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के पास से चोरी की भैंस ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है और भैंस बरामद की गयी है। अभियुक्त ऐसा विकलांग नहीं है, जिससे भैंस चोरी नहीं कर सकता। अपराध अजमानीय एवं गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

8. उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे विदित है कि अभियुक्त भैंस बरामद होने का आक्षेप है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 02.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्व है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है। अभियुक्त की ओर से उसका 50 प्रतिशत विकलांग होने के प्रमाण पत्र की प्रति दाखिल की गयी है, तथा मूल अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर्याप्त आधार है।

9. अतः प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आ दे श

प्रार्थी/अभियुक्त **राकेश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–**3278 सन् 2022** स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुव0–**50,000/–(पचास हजार)** रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये कि :–

1. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य एवं साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग प्रदान करेगा तथा नियत तिथियों पर न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

शर्तों का उल्लंघन करने पर आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

(विकास गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–02, एटा।
11.11.2022

Digitally signed by Vikas Gupta
Date: 2022.11.11 16:22:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court